

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर 492002

क्रमांक: एफ 16-01/2023/पचपन,
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक **23 AUG 2023**

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय:- प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालयों की मान्यता बाबत।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 11.04.2023, 19.04.2023, 29.05.2023, 31.05.2023, 23.06.2023, 26.06.2023 एवं 14.07.2023.

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञाप द्वारा राज्यांतर्गत स्थित-113 एवं राज्य के बाहर स्थित-41 निजी चिकित्सालयों को प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु मान्यता प्रदान की गई है, जिसके अनुक्रम में राज्य शासन, एतद्वारा, राज्यांतर्गत स्थित निम्नलिखित निजी चिकित्सालय को दिनांक 01/04/2023 से 31/03/2024 तक की अवधि हेतु मान्यता की स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्रं.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
(1)	(2)	(3)
1	S.R. Hospital & Research Center, Village- Chikhli, Post-Jeora Sirsa, Dhamdha Road, Durg (C.G.)	(1) General Medicine (2) General Surgery (3) Obstetrics & Gynecology (4) Orthopedics (5) Pediatrics (6) Ophthalmology (7) ENT (8) Pathology (9) Dental

2/ राज्यांतर्गत प्रकरणों में मान्यता प्राप्त अस्पतालों में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का उपचार कराये जाने हेतु संबंधित जिले के सिविल सर्जन की अनुशंसा अनिवार्य होगी। आकस्मिक परिस्थिति की दशा में, आवेदक/परिवार के सदस्य के द्वारा उपचार प्रारंभ करने से 72 घण्टे की समय-सीमा के भीतर, नियंत्रण अधिकारी/कार्यालय प्रमुख को सूचित किया जाना आवश्यक होगा तथा आकस्मिक परिस्थिति में उपचार कराये जाने संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

3/ राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु मरीजों को प्रथमतः चिकित्सा महाविद्यालय के रेफरल कमेटी का रेफरल प्रमाण पत्र तथा चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय में संबंधित रोगों की जांच/उपचार/विषय विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध न होने पर, यथास्थिति, संयुक्त-संचालक-सह-अधीक्षक/उप संचालक, शासकीय/मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा संस्थाओं में रिफर कर




सकेंगे। आकस्मिक परिस्थिति की दशा में, आवेदक/परिवार के सदस्य के द्वारा उपचार प्रारंभ करने से 72 घण्टे की समय-सीमा के भीतर, नियंत्रण अधिकारी/कार्यालय प्रमुख को सूचित किया जाना आवश्यक होगा तथा आकस्मिक परिस्थिति में उपचार कराये जाने संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

4/ उपरोक्त मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों की उपचार की दर सी.जी.एच.एस. योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन के कर्मचारियों हेतु लागू उपचार की दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावे।

5/ उक्त मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों का उपचार कराए जाने पर ईलाज तत्काल शुरू किया जावेगा एवं उनसे अग्रिम धन राशि के अभाव में ईलाज में लापरवाही नहीं की जावेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(जनक कुमार)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,


चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक: एफ 16-01/2023/पचपन,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक: **23 AUG 2023**

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
2. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़,
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
4. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
5. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
10. सचिव, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर,
11. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर,
12. सचिव, लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़,
13. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर,
14. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली,
15. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग.
16. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर,

17. संचालक स्वास्थ्य सेवायें/चिकित्सा शिक्षा/आयुष, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर अपने विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु,
 18. संचालक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़, रायपुर,
 19. निज सहायक, समस्त मान. मंत्री/मान. संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़, रायपुर,
 20. सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग/महिला आयोग/किसान आयोग/युवा आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अनुसूचित जाति आयोग/मानव अधिकार आयोग/अल्पसंख्यक कल्याण आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर,
 21. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर,
 22. संचालक, जन संपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर।
 23. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
 24. अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर/रायगढ़/दुर्ग/राजनांदगांव/अंबिकापुर/जगदलपुर/कोरबा/कांकेर/महासमुन्द, छत्तीसगढ़,
 25. संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, रायपुर/बिलासपुर/रायगढ़/दुर्ग/राजनांदगांव/अंबिकापुर/जगदलपुर/कोरबा/कांकेर/महासमुन्द, छत्तीसगढ़।
 26. प्राचार्य, शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय/फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, रायपुर,
 27. प्राचार्य, समस्त शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, छत्तीसगढ़,
 28. प्राचार्य, समस्त शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, छत्तीसगढ़,
 29. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़,
 30. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छत्तीसगढ़,
 31. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट-www.cg.nic.in/gadonline में अपलोड करने हेतु,
 32. संबंधित चिकित्सालय
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
33. स्टाक फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग